

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग ।

आ0सं0-8/ज०सं०(नि०)राँची-05/2013:-

/राँची, दिनांक -

आदेश

श्री उमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, (याँ.)सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल राँची द्वारा धुर्वा स्थित गोदाम एवं कर्मशाला में पड़े कण्डम एवं अनुपयोगी सामग्रियों के निलामी में बरती गयी अनियमितता का आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाये जाने के कारण इन्हें सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-49'ए' के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

(2) निलंबन अवधि में इन्हें सेवा संहिता के नियम-96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

(3) निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय मुख्य अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग, लघु सिंचाई (राँची) निर्धारित किया जाता है।

(4) विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

ह0/-

(शेखर कुमार वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -

/राँची, दिनांक -

प्रतिलिपि-महालेखाकार, झारखंड, राँची/ उप सचिव, वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, झारखंड, राँची/ प्रधान सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ संयुक्त सचिव (प्र.) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ मुख्य अभियंता (याँ.) जल संसाधन विभाग, राँची/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/ राँची/ कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, कोषागार, राँची/ श्री उमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(शेखर कुमार वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -

4215

/राँची, दिनांक - 27-7-13

प्रतिलिपि:-वेब सूचना प्रबन्धक, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

130/240/13

(शेखर कुमार वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

27-7-13